

राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(आय-व्ययक अनुभाग)

क्रमांक : प.4(33)वित्त-1(1)आ.व्यय./2004/पार्ट-III


जयपुर, दिनांक: 29 दिसम्बर, 2018

संशोधित मीटिंग नोटिस

इस विभाग के समसंख्यक मीटिंग नोटिस दिनांक 06.12.2018 के द्वारा राजस्व प्राप्तियों के आय-व्ययक अनुमान 2019-20 एवं संशोधित अनुमान 2018-19 को अंतिम रूप दिये जाने हेतु कार्यक्रम निर्धारित किया गया था। उक्त मीटिंग नोटिस में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नांकित विभागों का निम्नानुसार संशोधित कार्यक्रम निर्धारित किया जाता है:-


क्र. सं.	विभाग का नाम	पूर्व में निर्धारित तिथि एवं समय	संशोधित तिथि एवं समय
1	परिवहन विभाग	08.01.2019 03:00 बजे	02.01.2019 02:00 बजे
2	खान एवं भू-विज्ञान विभाग	09.01.2019 03:00 बजे	03.01.2019 02:00 बजे
3	वाणिज्यिक कर विभाग	15.01.2019 03:00 बजे	04.01.2019 02:00 बजे
4	पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग	02.01.2019 03:00 बजे	08.01.2019 03:00 बजे
5	राजस्व मण्डल, अजमेर	03.01.2019 03:00 बजे	08.01.2019 04:00 बजे
6	राज्य आबकारी विभाग	04.01.2019 03:00 बजे	09.01.2019 03:00 बजे

मीटिंग कार्यक्रम की अन्य शर्तें यथावत रहेंगी। कृपया संशोधित कार्यक्रमानुसार बैठक में भाग लेने का श्रम करें।


(जसवन्त सिंह)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (बजट) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सहायक, निदेशक, वित्त (बजट) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (कर) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
6. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. संबंधित विभाग / अधिकारीगण।
8. निदेशक वित्त (कम्प्यूटर सैल) को उक्त नोटिस वित्त विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।


संयुक्त शासन सचिव